न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा

मुकदमा नम्बर 54/10

धारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88,188 आर टी एक्ट

उनवान – लक्ष्मी बनाम सिरमोहर वगैरा

पीठासीन अधिकारी – मोहम्मद ताहिर RAS

विद्वान अभिभाषक गण –1.वादी- श्री सुरेश श्रीवास्तव, 2.प्रतिवादी - श्री दिलीप शर्मा

निर्णय दिनांक : 27.3.2018

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया लक्ष्मी पुत्री भेरों ने बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बरौली एवं गुढ़ा तहसील सरमथुरा में अंकित है। परिशिष्ट "क" में अंकित भूमियो को वादी के पक्ष मे नामांतकरण हो गया किन्तु परिशिष्ट "ख" में अंकित खसरा नम्बरान 36,37,38,39,40,41, कुल किता 6 कुल रकवा 9 बीघा 1 विस्वा का नामांतकरण वादिया के पक्ष मे नहीं खोला गया |

वादिया ने अपने वाद में अंकित किया कि मै बिना पढ़ी लिखी ग्रामीण महिला हूँ |अब तक में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करती आ रही थी किन्तु 17.07.2010 को जब मै अपनी भूमि काश्त करने पहुंची तो प्रतिवादी गण ने मुझे जमीन जोतने नहीं दिया तथा बताया की तेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारे पक्ष में नामांतकरण हो गया | वादिया की प्रार्थना है कि मुझे परिशिष्ट "ख" में अंकित खसरा नम्बरान का खातेदार घोषित किया जावे |

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण 1 लगायत 9 को नोटिस जारी कर न्यायालय में तलब किया | प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अभिभाषक के जरिये जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उन्होंने मृतक भेरों के कोई संतान नहीं होना अंकित किया |वादिया का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध होना स्वीकार नहीं किया तथा बताया कि वादिया अपने दावे में खुद को अनपढ़ महिला स्वीकार करती है वही दूसरी तरफ अपने पढाई के सबूत पेश कर रही है | तहसीलदार द्वारा नामांतक़रण गहन जाँच एवं विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण कर खोला | प्रतिवादी गण ने अपने जवाब दावे में अंकित किया कि वादिया का मृतक भेरों से कोई सरोकार नही है बल्कि वादिया सूखाराम पुत्र धनीराम की पुत्री है | वादिया की माता आज भी जीवित |अत: प्रार्थना है कि दावा वादिया मय खर्चा ख़ारिज किया जाये |

हमने वाद एवं दावे का अवलोकन किया दौरान दावा वादिया लक्ष्मी की मृत्यु हो गई परिणामत: संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया तथा वादिया के वारिसान क्रम संख्या 1/1,1/2,1/3 कायम मुकाम नियत किया जावे | हमने उपरोक्त दावा, जवाब दावे पर मनन करने के बाद दावे एवं जवाब दावे के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया |दावे के साथ संलग्न नामांतकरण संख्या 202 दिनांक 15.8.1994 का अवलोकन कर ज्ञात हुआ कि बाद जाँच पटवारी ,भू अभिलेख निरीक्षक ,तथा ग्रामपंचायत शजरे के आधार पर तहसीलदार सरमथुरा द्वारा नामांतकरण स्वीकृत किया गया| विद्वान अभिभासक गण वादी प्रतिवादी ने लिखित बहस देने का निश्चय किया विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को शामिल पत्रावली किया गया |

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा (दौसा) राज.

हमने पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज ,दावा, जवाबदावा ,साक्ष्य,लिखित बहस का अवलोकन किया |मनन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण में नामांतकरण त्रुटि की बात को वादिया और इसके वकील ने एडमिट किया तथा प्रतिवादी गण अभिभाषक ने लक्ष्मी को भेरों की पुत्री नहीं मानने हेतु साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये है|यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम (अपील बाबत)भू प्रबंधक अथवा भूमि अभिलेख से असंबंधित मामलो में तहसीलदार द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलेक्टर को ,इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दी गई आज्ञाओ की अपील कलक्टर को होगी |

इस प्रकार नामांतकरण की कार्यवाही भूराजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न होती है | राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपील के प्रावधान नामांतकरण कार्यवाही पर लागू होते है | राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 4 सितम्बर 1982 के अनुसार पंचायत द्वारा पारित नामांतरण की अपील उपखण्डअधिकारी के न्यायालय में तथा तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील कलेक्टर एवं अतिरिक्त कलेक्टर के यह किये जाने का प्रावधान है |

अत: हम उपरोक्त तथ्यों के मनन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वादिया का वाद नामांतरण से सम्बन्धित अनुतोष प्राप्त करने के सम्बन्ध में है| वादिया को नियमानुसार नामांतकरण की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए | अत: वाद इस स्तर पर ख़ारिज किया जाता है | पत्रावली को फैसल शुमार समझा जावे |पत्रावली दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम शुमार की जावे |

18

उपखण्ड अधिकारी

मोहम्मद ताहिर RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरमथुरा